(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–II, खण्ड–3, उपखण्ड–(ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन

अधिसूचना सं0 13 / 2015–2020
नई दिल्ली, दिनांकः 20 जून, 2018

विषयः विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 में संशोधन।

सा.आ.(अ.): समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा विदेश व्यापार नीति, 2015–20 के पैरा 4.29 (vi) और (vii) में निम्नलिखित संशोधन करती है:

2. विदेश व्यापार नीति, 2015–20 के पैरा 4.29 (vi) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:

"प्रत्येक सिओन के लिए अलग डीएफआईए जारी किया जाएगा।"

3. पैरा 4.29 (vii) निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है;

"प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.37 में सूचीबद्ध किसी भी पत्तन से डीएफआईए के तहत निर्यात किया जाएगा। तथापि, ईडीआई और गैर–ईडीआई पत्तनों के लिए अलग से आवेदन किया जाएगा। यदि निर्यात गैर–ईडीआई पत्तन से किया जाता है, तो प्रत्येक गैर–ईडीआई पत्तन के लिए अलग से आवेदन किया जाएगा।

4. **इस अधिसूचना का प्रभावः** विदेश व्यापार नीति 2015–20 का पैरा 4.29 (vi) और पैरा 4.29 (vii) को किसी भी ईडीआई पत्तन से किए गए निर्यात के लिए एकल डीएफआईए आवेदन करने और प्रत्येक गैर–ईडीआई पत्तन से किए गए निर्यात के लिए अलग आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्यातको को सक्षम बनाने के लिए प्रतिस्थापित किया जाता है।

(आलोक वर्धन चतुर्वेदी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार

(फा0 सं0 01/94/180/106/एएम19/पीसी–IV से जारी)